न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी :– इन्द्र सिंह राव, आई.ए.एस.

अपील सं. 42/2016/एलआर

राजु पिता हरकलाल कलाल
निवासी बडी का खेडा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलान्ट

बनाम

राज्य जरिये भूमिधारी उप तहसीलदार, बस्सी, जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956
विरूद्ध निर्णय एवं आदेश जिला कलेक्टर, चित्तौड़गढ़
दिनांक 15.11.2016 प्रकरण सं. 37/2015

उपस्थित – 1. श्री छोगालाल जाट – अपीलान्ट अभिभाषक
2. श्रीमती वन्दना चौखडा – राजकीय अभिभाषक

निर्णय दिनांक– 01.11.2017

1. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का अभयपुर द्वारा ग्राम बडी का खेडा की आराजी नम्बर 49 मी रकबा 10.45 है0 मे से 0.90 है0 किस्म मंगरी पर अतिक्रमण बता जिसमे से 0.06 आरी मे मूंगफली, 0.06 है0 चरी ज्वार, शेष 0.78 है0 पडत फसल खरीफ संवत् 2072 मे अनाधिकृत फसल काश्त करना बताकर रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को कोई सुनवाई का अवसर नही दिया, पटवारी से जिरह का अवसर भी नही दिया और बिना जांच पडताल किये 2 माह का सिविल करावास, बेदखली एवं अतिक्रमित रकबे के बन्दोबस्त लगान 0.90 रू0 का 50 गुणा अर्थात् राशि 45/– रू0 शास्ति का आदेश पारित किया जो विधि के अनुकूल नही होने से निरस्त योग्य है।

2. यह कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट ने अंकित किया कि उसके द्वारा किसी प्रकार का अतिक्रमण नही किया गया है न ही मौके पर किसी प्रकार की कोई काश्त हो रही है फिर भी अधीनस्थ जिला कलेक्टर द्वारा बिना माईन्ड एप्लाई किये उप–तहसीलदार के आदेश को यथावत रखने का जो आदेश पारित किया है, अवैधानिक होने से विधि के विरूद्ध है। अधीनस्थ उप–तहसीलदार द्वारा प्रार्थी/अपीलान्ट को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर प्रदान नही किया गया न ही पटवारी हल्का से जिरह ही देते हुए मनमकसुद तरीके से पश्चात्वर्ती अतिक्रमण मानते हुए सिविल कारावास व बेदखली का

आदेश पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट का किसी प्रकार से पश्चात्वर्ती अतिक्रमण साबित नही हुआ न ही पश्चात्वर्ती अतिक्रमण सम्बन्धी किसी प्रकार के दस्तावेज ही पेश किये गये फिर भी मन मकसुद तरीके से अतिक्रमण मानते हुए निर्णय व आदेश पारित किया है। पटवारी हल्का से जांच रिपोर्ट आने पर मौके पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नही होते हुए केवल मात्र बाड स्थित होना आया है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर आदेश दिनांक 15/11/2016 एवं उप–तहसीलदार बस्सी का आदेश दिनांक 10/09/2015 को निरस्त फरमाये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

3. दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने मुख्य रूप से वही तथ्य बयान किया है जो अपील मे उल्लेखित है एवं मुख्य रूप से मांग की है कि अपीलान्ट के विरूद्ध पश्चात्वर्ती अतिक्रमण साबित नही हुआ है तथा न ही इस प्रकार का कोई दस्तावेज पत्रावली पर उनलब्ध है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर जिला कलेक्टर चित्तौडगढ का आदेश दिनांक 15.11.2016 एवं उप–तहसीलदार बस्सी का आदेश दिनांक 10/09/2015 को निरस्त किया जावे।

4. राजकीय अभिभाषक द्वारा बयान किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने मे किसी प्रकार की विधिक भूल नही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारीज की जावे।

5. बहस उभयपक्ष सुनी गई एवं मनन किया गया। अपील एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया, जिससे जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट द्वारा उल्लेखित पश्चात्वर्ती अतिक्रमण सम्बन्धी बिन्दु पर समुचित परीक्षण किया जाना अपेक्षित है। फलतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 37/2015 मे पारित निर्णय दिनांक 15/11/2016 को अपास्त करते हुए पुनः सुनवाई कर निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(इन्द्र सिंह राव)
आई.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़